भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1469

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

ई-केवाईसी प्रक्रिया

1469. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) ई-केवाईसी प्रक्रिया, जिसके कारण प्रवासियों और बायोमीट्रिक विसंगतियों से पीड़ित व्यक्तियों जैसी असुरक्षित आबादी को संकट और बहिष्कार का सामना करना पड़ा है, के कार्यान्वयन के पीछे क्या औचित्य है;
(ख) क्या सरकार का विचार उक्त प्रक्रिया द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रहे लोगों को और अधिक हाशिए पर न रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए इस पर पुनर्विचार करने का है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कुशल और प्रभावी प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया करने का अनुरोध करता रहा है। ई-केवाईसी सत्यापन बायोमेट्रिक प्रमाणन द्वारा लाभार्थी की पहचान की पुष्टि करने और फिर राशन कार्ड ब्यौरों के साथ उसके आधार जनसांख्यिकीय डाटा का मिलान करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से डुप्लीकेट और अपात्र कार्डधारकों को हटाया जाता है, जिससे एनएफएसए के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा के अंदर अतिरिक्त पात्र एवं जरूरतमंद लाभार्थियों को शामिल करने हेतु स्थान बनता है।

...2/-

(ख) और (ग): ई-केवाईसी की प्रक्रिया सही लक्ष्यीकरण और वास्तविक लाभार्थियों को सुनिश्चित रूप से शामिल करने के लिए है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया से किसी की उपेक्षा नहीं होती बल्कि अपात्र लाभार्थियों को शामिल नहीं किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, राशन कार्डों/लाभार्थियों की सूची की समीक्षा, अपात्र/डुप्लीकेट राशन कार्डों को चिह्नित करने और पात्र लाभार्थियों/परिवारों को शामिल करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र सरकार की है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक चिह्नित मामले के उचित सत्यापन (फील्ड सत्यापन सहित) करने के लिए परामर्श दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक लाभार्थियों के राशन कार्डों को हटाए/निलंबित न किए जाएं।

*****